न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 77 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गंगाराम पुत्र धर्माराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.रतनाराम पुत्र धर्माराम
2.प्रतापाराम पुत्र धर्माराम
3.आईदानराम पुत्र धर्माराम
4.भागीरथराम पुत्र धर्माराम
5.श्रीराम पुत्र नवलाराम
6.श्रवण कुमार पुत्र नवलाराम
7.सुगणी पत्नी नवलाराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8.शाखा प्रबन्धक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बालोतरा
9.तहसीलदार गुड़ामालानी
10.चनणाराम पुत्र गंगाराम
11.जगराम पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 16 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गंगाराम पुत्र धर्माराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.रतनाराम पुत्र धर्माराम
2.प्रतापाराम पुत्र धर्माराम
3.आईदानराम पुत्र धर्माराम
4.भागीरथराम पुत्र धर्माराम
5.श्रीराम पुत्र नवलाराम
6.श्रवण कुमार पुत्र नवलाराम
7.सुगणी पत्नी नवलाराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8.शाखा प्रबन्धक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बालोतरा
9.तहसीलदार गुड़ामालानी
10.चनणाराम पुत्र गंगाराम
11.जगराम पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 87 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चनणाराम पुत्र गंगाराम
2. जगराम पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.रतनाराम पुत्र धर्माराम
2.प्रतापाराम पुत्र धर्माराम
3.आईदानराम पुत्र धर्माराम
4.भागीरथराम पुत्र धर्माराम
5.श्रीराम पुत्र नवलाराम
6.श्रवण कुमार पुत्र नवलाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

7.सुगणी पत्नी नवलाराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8.शाखा प्रबन्धक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बालोतरा
9.तहसीलदार गुड़ामालानी
10.चनणाराम पुत्र गंगाराम
11.जगराम पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2017 बअनवान गंगाराम बनाम रतनाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2019 व 13.12.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डालूराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.12.2020

तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति पृथक–पृथक अपील पर रखी जावे।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के संयुक्त खातेदारी के पैतृक खेत मौजा छोटू पटवार क्षेत्र छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 330 रकबा 86.07 बीघा, खसरा संख्या 363 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 363 रकबा 12.08 बीघा, खसरा संख्या 749/363 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 752/363 रकबा 01.10 बीघा, खसरा संख्या 753/363 रकबा 08.05 बीघा कुल रकबा 109.08 बीघा के आये हुए है। अपीलाधीन आराजी के प्रत्येक खसरे में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 से 07 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा इसी हिस्सों के माफिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 विवादित भूमि काबिज है व काश्त कर रहे है तथा अपनी रहवासी ढाणिया, चारबाडे, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादी/अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित की गई। वादी/अपीलांट की अनुपस्थिति में वादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं कर वादी का वाद ही अदम पैरवी में खारिज किया जाना विधि का प्रावधान है परन्तु हस्तगत प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा पैरवी हेतु हिदायत न होने का कहते हुऐ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पैरवी बंद करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पैरवी में खारिज नहीं कर वादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर वादी को बिना कोई सूचना दिये ही समस्त कार्यवाही एक ही दिन में निष्पादित कर न्याय का गला घोंटा गया। अपीलांट व उनके अधिवक्ता को प्रतिवादीगण व उनके गवाहों से जिरह करने हेतु किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आनन फानन में अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर गये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई वह मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व तरमीम भी हो गयी है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 10–12 दिन पूर्व अधिवक्ता को जानकारी हुई कि उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 13.12.2019 को ही कर दिया था जिस पर अधिवक्ता ने दिनांक 03.03.2020 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 12.03.2020 को प्राप्त हुई जिस दिन अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन करने व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.09.2019 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.09.2019 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। हस्तगत वाद में वर्णित अपीलाधीन आराजी से <u>अपीलांट चनणाराम व जगराम</u> द्वारा रजिस्टर्ड बेचान से वादग्रस्त भूमि मे से आंशिक हिस्सा क्रय करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का आवेदन पेश किया गया जिसे अस्वीकार किया गया जो धारा 53 के बंटवारे के वाद में न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण को प्रत्येक <u>खसरे में हिस्सा नहीं</u> दिया गया है जबकि अपीलाधीन पैतृक होने से <u>प्रत्येक खसरे में उसका हिस्सा नियत है।</u> इस दृष्टि से यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2017 बअनवान गंगाराम बनाम रतनाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2019 व 13.12.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण चनणाराम व जगराम को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर उन्हें साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत प्राथमिक डिक्री जारी कर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर निर्णय पुनः पारित करे।

16/12/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/12/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर